



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122022-241522
CG-DL-E-30122022-241522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 816]
No. 816]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

सं. 33/2022-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 914(अ).—जहां कि बांग्लादेश और नेपाल (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “जूट उत्पादों जिनमें जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबलड और सिंगल), हेसियन फैब्रिक, जूट बोरी बैग और जूट बोरिंग कपड़ा शामिल हैं” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5307, 5310, 5607 अथवा 6305 के अंतर्गत आता है, के आयातों पर प्रारम्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनुअरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11(अ), दिनांक 05 जनुअरी, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/09/2021-डीजीटीआर, दिनांक 28 जून, 2021, जिसे दिनांक 28 जून, 2021, को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/09/2021-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितम्बर, 2022, जिसे दिनांक 30 सितम्बर, 2022, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से निरंतर पाटन जारी है और यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसे आयात का भारत के बाजार में बहुत कम मूल्य पर पहुंचते रहने की संभावना है;
- (ii) विषयगत देशों से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;
- (iii) लिखित सूचनाओं के आधार पर ऐसा पता चलता है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क को यदि इस स्तर पर समाप्त कर दिया जाता है तो इसके पाटन के बने रहने और इस प्रकार की क्षति के होते रहने की संभावना है;
- (iv) ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि यदि इस स्तर पर प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो इन वस्तुओं की यहां भरमार होती रहेगी और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचती रहेगी,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के लिए सिफारिश की है;

अतः अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनुअरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11(अ), दिनांक 05 जनुअरी, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा/यूनिट के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	शीर्ष-उप/ शीर्ष	सामानों का विवरण**	विनिर्देशन	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा/यूनिट/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	सभी रूपों और विनिर्देशनों में	बांग्लादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	हसन जूट मिल्स लिमिटेड	NIL	अमे .मी./डॉ . टन
2.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	हसन जूट मिल्स लिमिटेड	NIL	अमे .मी./डॉ . टन
3.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	अलीजान जूट मिल्स लिमिटेड	20.35	अमे .मी./डॉ . टन

4.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	सोनाली अंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	20.35	अमे .मी./डॉ . टन
5.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	सिडलॉ टेक्सटाइल्स (बांग्लादेश) लिमिटेड	102.93	अमे .मी./डॉ . टन
6.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	102.93	अमे .मी./डॉ . टन
7.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	20.68	अमे .मी./डॉ . टन
8.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	NIL	अमे .मी./डॉ . टन
9.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्ननट्वि/	-वही-	-वही-	-वही-	आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	19.30	अमे .मी./डॉ . टन
10.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	प्राइड जूट मिल्स लिमिटेड	104.16	अमे .मी./डॉ . टन
11.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	बोगरा जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
12.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	बोगरा जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
13.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	एजूट .एम. इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन

14.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	एजूट .एम. इंडस्ट्रीज लिमिटेड	351.72	अमे .मी./डॉ . टन
15.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	NIL	अमे .मी./डॉ . टन
16.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	NIL	अमे .मी./डॉ . टन
17.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
18.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
19.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	नौहाता जूट मिल्स लिमिटेड	351.72	अमे .मी./डॉ . टन
20.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	मौना जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
21.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	राबेया जूट मिल	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
22.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	राबेया जूट मिल	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
23.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	राबेया जूट मिल	351.72	अमे .मी./डॉ . टन

24.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे .डॉ .मी/. टन
25.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमे .मी/.डॉ . टन
26.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड	351.72	अमे .मी/.डॉ . टन
27.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	नवाब अब्दुल मालेक जूट मिल्स (बीडी) लिमिटेड	97.19	अमे .मी/.डॉ . टन
28.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	रहमान जूट मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	97.19	अमे .मी/.डॉ . टन
29.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	रहमान जूट मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	125.21	अमे .मी/.डॉ . टन
30.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	राजबाड़ी जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे .मी/.डॉ . टन
31.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	राजबाड़ी जूट मिल्स लिमिटेड	351.72	अमे .मी/.डॉ . टन
32.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	उषा जूट स्पिनर्स लिमिटेड	97.19	अमे .मी/.डॉ . टन
33.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	मदीना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे .मी/.डॉ . टन

34.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	मदीना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
35.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	मदीना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	351.72	अमे .मी./डॉ . टन
36.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	मिर्जा जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
37.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	जेम जूट लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
38.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	अफजल फाइबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
39.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	अफजल फाइबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
40.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	अनम जूट प्रोडक्ट्स लिमिटेड	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
41.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	बोनान्ज़ा जूट कम्पोजिट एंड डाइवर्स फैक्ट्री लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
42.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	जमुना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
43.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	जॉय जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन

44.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	जॉय जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
45.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	जूट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
46.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	गोल्डन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
47.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	हसन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
48.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	माजेदा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
49.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	रिलायंस जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
50.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	सलीम एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
51.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
52.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
53.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड	351.72	अमे .मी./डॉ . टन

54.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	वहाब जूट मिल्स	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
55.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	वहाब जूट मिल्स	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
56.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	वहाब जूट मिल्स	351.72	अमे .मी./डॉ . टन
57.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	अकिज जूट मिल्स लिमिटेड	97.19	अमे .मी./डॉ . टन
58.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	अकिज जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
59.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	लवली जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
60.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	ग्लोरी जूट लिमिटेड	125.21	अमे .मी./डॉ . टन
61.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्रम संख्या 1- 60 को छोड़कर कोई भी उत्पादक	162.45	अमे .मी./डॉ . टन
62.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्रम संख्या 1- 60 को छोड़कर कोई भी उत्पादक	138.97	अमे .मी./डॉ . टन
63.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्रम संख्या 1- 60 को छोड़कर कोई भी उत्पादक	351.72	अमे .मी./डॉ . टन

64.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	बांग्लादेश	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	कोई भी	162.45	अमे .मी./डॉ . टन
65.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	बांग्लादेश	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	कोई भी	138.97	अमे .मी./डॉ . टन
66.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	बांग्लादेश	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	कोई भी	351.72	अमे .मी./डॉ . टन
67.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	बांग्लादेश	कोई भी	162.45	अमे .मी./डॉ . टन
68.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	बांग्लादेश	कोई भी	138.97	अमे .मी./डॉ . टन
69.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	बांग्लादेश	कोई भी	351.72	अमे .मी./डॉ . टन
70.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्ननट्वि/	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	अरिहंत मल्टी- फाइबर लिमिटेड	24.61	अमे .मी./डॉ . टन
71.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	अरिहंत मल्टी- फाइबर लिमिटेड	35.25	अमे .मी./डॉ . टन
72.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	अरिहंत मल्टी- फाइबर लिमिटेड	NIL	अमे .मी./डॉ . टन
73.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड	24.61	अमे .मी./डॉ . टन

74.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड	35.25	अमे .मी./डॉ . टन
75.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड	NIL	अमे .मी./डॉ . टन
76.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	स्वास्तिक जूट मिल्स लिमिटेड	15.36	अमे .मी./डॉ . टन
77.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	स्वास्तिक जूट मिल्स लिमिटेड	34.20	अमे .मी./डॉ . टन
78.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	स्वास्तिक जूट मिल्स लिमिटेड	8.18	अमे .मी./डॉ . टन
79.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	बाबा जूट मिल्स	26.07	अमे .मी./डॉ . टन
80.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	बाबा जूट मिल्स	33.73	अमे .मी./डॉ . टन
81.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	बाबा जूट मिल्स	6.30	अमे .मी./डॉ . टन
82.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	नेपाल जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	26.07	अमे .मी./डॉ . टन
83.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	नेपाल जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	8.18	अमे .मी./डॉ . टन

84.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्रम संख्या 70- 83 को छोड़कर कोई भी उत्पादक	28.72	अमे .मी./डॉ . टन
85.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्रम संख्या 70- 83 को छोड़कर कोई भी उत्पादक	38.90	अमे .मी./डॉ . टन
86.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्रम संख्या 70- 83 को छोड़कर कोई भी उत्पादक	8.18	अमे .मी./डॉ . टन
87.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	नेपाल	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	कोई भी	28.72	अमे .मी./डॉ . टन
88.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	नेपाल	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	कोई भी	38.90	अमे .मी./डॉ . टन
89.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	नेपाल	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	कोई भी	8.18	अमे .मी./डॉ . टन
90.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	जूट यार्नट्विन/	-वही-	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	नेपाल	कोई भी	28.72	अमे .मी./डॉ . टन
91.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	सेकिंग बैग	-वही-	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	नेपाल	कोई भी	38.90	अमे .मी./डॉ . टन
92.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	हेसियन फैब्रिक	-वही-	उपर्युक्त को छोड़कर कोई भी अन्य देश	नेपाल	कोई भी	8.18	अमे .मी./डॉ . टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2021—टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2022

No. 33/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 914(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/09/2021-DGTR, dated the 28th June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th June, 2021, had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Jute Products comprising of Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, Jute sacking bags and Jute sacking cloth” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Tariff Headings 5307, 5310, 5607 or 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Bangladesh and Nepal (hereinafter referred to as the subject countries) initially imposed, *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 11(E), dated the 5th January, 2017;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, the designated authority in its final findings, published, *vide* notification No. 7/09/2021-DGTR, dated the 30th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 30th September, 2022, has come to the conclusion that,-

- (i) there is continued dumping of the subject goods from the subject countries and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of cessation of duty;
- (ii) dumped imports from subject countries are causing injury to the domestic industry;
- (iii) the information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage;
- (iv) there is sufficient evidence to indicate that the revocation of the anti-dumping duty at this stage will lead to continuation of dumping and injury to the domestic industry,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1(E), dated the 5th January, 2017, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under Tariff Heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the

corresponding entries in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entries in column (5), exported from the country as specified in the corresponding entries in column (6), produced by the producers as specified in the corresponding entries in column (7), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entries in column (8), in the unit as specified in the corresponding entries in column (9), namely :-

TABLE

S. No.	Heading/ Sub-heading	Description of Goods**	Specifications	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency/ Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/ Twine	In all forms and specifications	Bangladesh	Any country including Bangladesh	Hasan Jute Mills Limited	NIL	US\$/ MT
2.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Hasan Jute Mills Limited	NIL	US\$/ MT
3.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Alijan Jute Mills Limited	20.35	US\$/ MT
4.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Sonali Aansh Industries Limited	20.35	US\$/ MT
5.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Sidlaw Textiles (Bangladesh) Limited	102.93	US\$/ MT
6.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Sagar Jute Spinning Mills Limited	102.93	US\$/ MT
7.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Janata Jute Mills Limited	20.68	US\$/ MT
8.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Janata Jute Mills Limited	NIL	US\$/ MT
9.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Asha Jute Industries Ltd.	19.30	US\$/ MT
10.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Pride Jute Mills Ltd.	104.16	US\$/ MT
11.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/ Twine	-do-	-do-	-do-	Bogra Jute Mills Limited	97.19	US\$/ MT
12.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Bogra Jute Mills Limited	125.21	US\$/ MT

13.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	A.M. Jute Industries Ltd.	97.19	US\$/ MT
14.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	A.M. Jute Industries Ltd.	351.72	US\$/ MT
15.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Hasan Jute & Spinning Mills Limited	NIL	US\$/ MT
16.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Hasan Jute & Spinning Mills Limited	NIL	US\$/ MT
17.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Ranu Agro Industries Limited.	97.19	US\$/ MT
18.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Ranu Agro Industries Limited.	125.21	US\$/ MT
19.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Nawhata Jute Mills Limited	351.72	US\$/ MT
20.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Mouna Jute Mills Limited	97.19	US\$/ MT
21.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Rabeya Jute Mill	97.19	US\$/ MT
22.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Rabeya Jute Mill	125.21	US\$/ MT
23.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Rabeya Jute Mill	351.72	US\$/ MT
24.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Oriental Jute Mills Limited	97.19	US\$/ MT
25.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Oriental Jute Mills Limited	125.21	US\$/ MT
26.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Oriental Jute Mills Limited	351.72	US\$/ MT
27.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Nawab Abdul Malek Jute Mills (BD) Ltd.	97.19	US\$/ MT

28.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Rahman Jute Mills (Pvt.) Ltd.	97.19	US\$/ MT
29.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Rahman Jute Mills (Pvt.) Ltd.	125.21	US\$/ MT
30.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Rajbari Jute Mills Ltd.	97.19	US\$/ MT
31.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Rajbari Jute Mills Ltd.	351.72	US\$/ MT
32.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Usha Jute Spinners Ltd.	97.19	US\$/ MT
33.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Madina Jute Industries Ltd.	97.19	US\$/ MT
34.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Madina Jute Industries Ltd.	125.21	US\$/ MT
35.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Madina Jute Industries Ltd.	351.72	US\$/ MT
36.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Mirza Jute Mills Ltd.	97.19	US\$/ MT
37.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Gem Jute Ltd.	97.19	US\$/ MT
38.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Afzal Fibre Processing Industries	97.19	US\$/ MT
39.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Afzal Fibre Processing Industries	125.21	US\$/ MT
40.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Anam Jute Products Ltd.	125.21	US\$/ MT
41.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Bonanza Jute Composite & Diverse Factory Ltd.	97.19	US\$/ MT
42.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Jamuna Jute Industries Ltd.	97.19	US\$/ MT

43.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Joy Jute Mills Ltd.	97.19	US\$/ MT
44.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Joy Jute Mills Ltd.	125.21	US\$/ MT
45.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Jute Textile Mills Limited	97.19	US\$/ MT
46.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Golden Jute Industries Limited	97.19	US\$/ MT
47.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Hasen Jute Industries Limited	125.21	US\$/ MT
48.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Mazeda Jute Industries Limited	97.19	US\$/ MT
49.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Reliance Jute Mills Ltd.	97.19	US\$/ MT
50.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Salim Agro Industries Limited	125.21	US\$/ MT
51.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Shamsher Jute Mills Limited	97.19	US\$/ MT
52.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Shamsher Jute Mills Limited	125.21	US\$/ MT
53.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Shamsher Jute Mills Limited	351.72	US\$/ MT
54.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/twine	-do-	-do-	-do-	Wahab Jute Mills	97.19	US\$/ MT
55.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Wahab Jute Mills	125.21	US\$/ MT
56.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Wahab Jute Mills	351.72	US\$/ MT
57.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Akij Jute Mills Ltd.	97.19	US\$/ MT

58.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Akij Jute Mills Limited	125.21	US\$/ MT
59.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Lovely Jute Mills Ltd.	125.21	US\$/ MT
60.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bag	-do-	-do-	-do-	Glory Jute Limited	125.21	US\$/ MT
61.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/ Twine	-do-	-do-	-do-	Any producer other than mentioned in S. No. 1- 60 above	162.45	US\$/ MT
62.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Any producer other than mentioned in S. No. 1- 60 above	138.97	US\$/ MT
63.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Any producer other than mentioned in S. No. 1- 60 above	351.72	US\$/ MT
64.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/ Twine	-do-	Bangladesh	Any country other than above	Any	162.45	US\$/ MT
65.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	Bangladesh	Any country other than above	Any	138.97	US\$/ MT
66.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	Bangladesh	Any country other than above	Any	351.72	US\$/ MT
67.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/ Twine	-do-	Any country other than above	Bangladesh	Any	162.45	US\$/ MT
68.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	Any country other than above	Bangladesh	Any	138.97	US\$/ MT
69.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	Any country other than above	Bangladesh	Any	351.72	US\$/ MT
70.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/ Twine	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Arihant Multi-fibres Ltd.	24.61	US\$/ MT

71.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Arihant Multi-fibres Ltd.	35.25	US\$/ MT
72.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Arihant Multi-fibres Ltd.	NIL	US\$/ MT
73.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Shree Raghupati Jute Mills Ltd.	24.61	US\$/ MT
74.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Shree Raghupati Jute Mills Ltd.	35.25	US\$/ MT
75.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Shree Raghupati Jute Mills Ltd.	NIL	US\$/ MT
76.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Swastik Jute Mills Ltd.	15.36	US\$/ MT
77.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Swastik Jute Mills Ltd.	34.20	US\$/ MT
78.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Swastik Jute Mills Ltd.	8.18	US\$/ MT
79.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Baba Jute Mills	26.07	US\$/ MT
80.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Baba Jute Mills	33.73	US\$/ MT
81.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Baba Jute Mills	6.30	US\$/ MT
82.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Nepal Jute Industries Pvt. Ltd.	26.07	US\$/ MT
83.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	Nepal	Any country including Nepal	Nepal Jute Industries Pvt. Ltd.	8.18	US\$/ MT
84.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	-do-	-do-	Any producer other than mentioned in S.N. 70 -83 above	28.72	US\$/ MT

85.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	-do-	-do-	Any producer other than mentioned in S. No. 70 - 83 above	38.90	US\$/ MT
86.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	-do-	-do-	Any producer other than mentioned in S. No. 70 - 83 above	8.18	US\$/ MT
87.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	Nepal	Any country other than above	Any	28.72	US\$/ MT
88.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	Nepal	Any country other than above	Any	38.90	US\$/ MT
89.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	Nepal	Any country other than above	Any	8.18	US\$/ MT
90.	5307, 5310, 5607 or 6305	Jute Yarn/Twine	-do-	Any country other than above	Nepal	Any	28.72	US\$/ MT
91.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	-do-	Any country other than above	Nepal	Any	38.90	US\$/ MT
92.	5307, 5310, 5607 or 6305	Hessian Fabric	-do-	Any country other than above	Nepal	Any	8.18	US\$/ MT

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/195/2021-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.